न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2025 / 546 दर्ज तिथिः—07.08.2025

1. तेजाराम पुत्र खेताराम
2. मानाराम पुत्र खेताराम
   जाति जाट निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

............प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. गोपीचन्द पुत्र साजनराम जाति विश्नोई निवासी हरियाली तहसील चितलवाना जिला जालोर
3. खेताराम पुत्र आईदानराम जाति जाट निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. तुलछाराम पुत्र गोरखाराम जाति विश्नोइ निवासी आखा का गोलिया तहसील सांचौर जिला जालोर
5. देराजराम पुत्र चेनाराम जाति सुथार निवासी डबोई
6. रतनलाल पुत्र गणेशाराम जाति विश्नोई निवासी झाकरड़ा
7. हडूमानराम पुत्र मेहराराम जाति जाट निवासी जाखड़ों की ढाणी, भीमथल तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
8. राणाराम पुत्र गंगाराम जाति रैबारी निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
9. आर्य गुण गुरू कृपा जेन तीर्थ धाम (अध्यक्ष भीमरामजी बोहरा) सा0 रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

..............अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री डालुराम चौधरी
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.17 18:22:56 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—29.09.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि

- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 955/893/0.0809 है0 मौजा रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी आराजी है।
- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 956/893 मौजा रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी प्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी आराजी है।
- कि प्रार्थीगण द्वारा मूल खसरा संख्या 893/109 रकबा 01—00 बीघा में से प्रार्थी संख्या 01 द्वारा पंजीकृत बयनामा दिनांक 21.06.2019 द्वारा रकबा 0—10 बीघा एवं प्रार्थी संख्या 02 द्वारा पंजीकृत बयनामा दिनांक 21.06.2019 द्वारा रकबा 0—10 बीघा भूमि जरिये अलग—अलग बेचान दस्तावेज से क्रय की थी। वक्त निष्पादन बेचान दस्तावेज बेचानकर्ता द्वारा प्रार्थीगण को बेचान की गई भूमि की चतुर्दशा खोलकर बेचान दस्तावेज निष्पादित किये गये थे। परंतु राजस्व कार्मिकों द्वारा उक्त बेचान दस्तावेजों में अंकित दिशाओं एवं मौके से भिन्न तरमीम राजस्व रिकॉर्ड लट्ठा ट्रेस में अंकित कर दी। जिससे मौके एवं रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई।
- कि असल में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उक्त आराजी की तरमीम परिशिष्ट—ए के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी प्रस्तावित थी। अंत में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उक्त आराजी की तरमीम बेचान दस्तावेज में अंकित चतुर्दशा के आधार पर मौके एवं संलग्न परिशिष्ट—ए के अनुसार किये जाने का निवेदन किया गया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/आर.ए./2025/1394 दिनांक 26.08.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—ए के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—ए प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—ए का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.17 18:22:56 IST
Reason: SelfAttested

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—ए के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / आर.ए. / 2025 / 1394 दिनांक 26.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / आर.ए. / 2025 / 1394 दिनांक 26.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का विवरण निम्नानुसार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.17 18:22:56 IST
Reason: SelfAttested

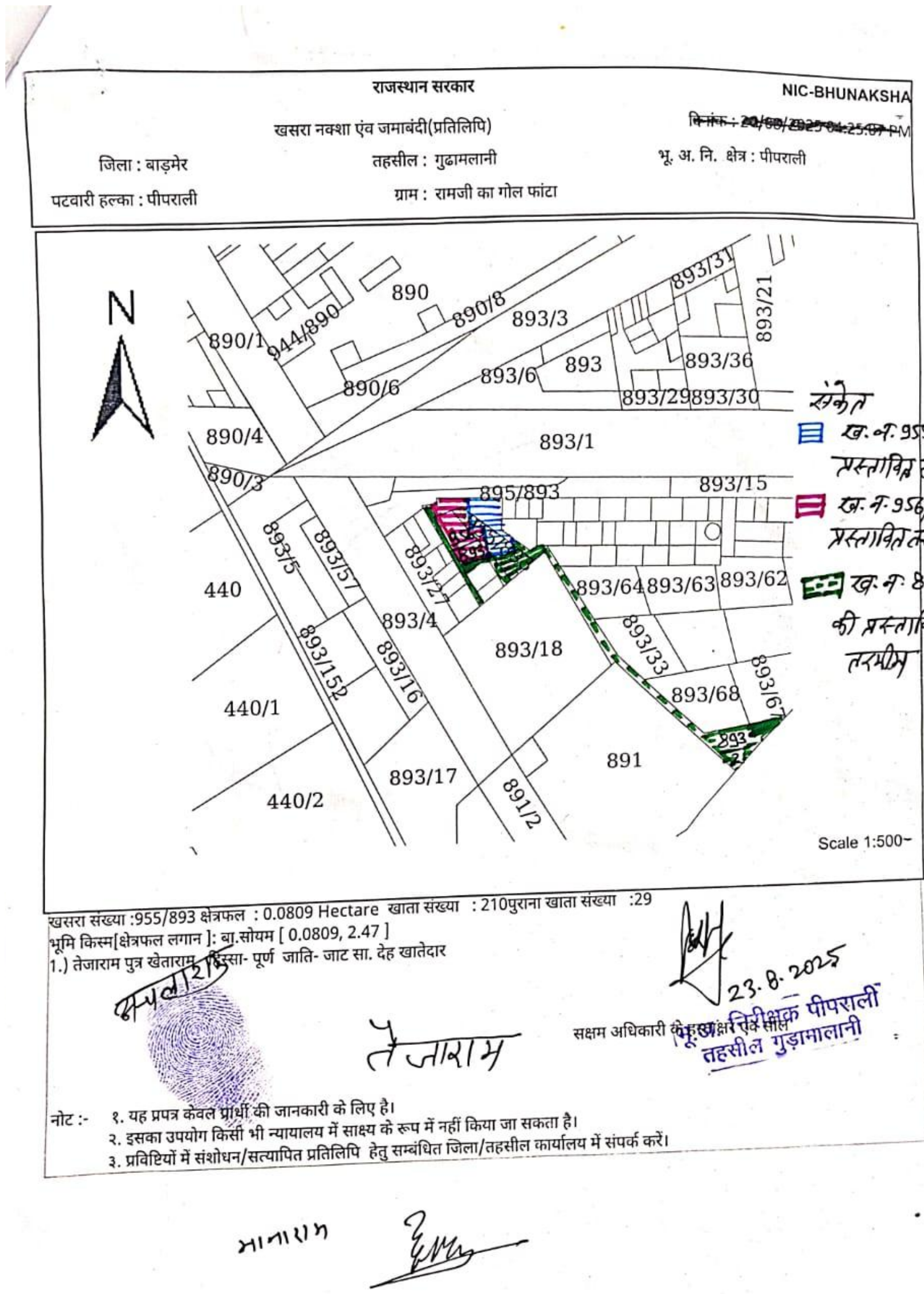

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

जिला : बाड़मेर

तहसील : गुढामलानी

भू. अ. नि. क्षेत्र : पीपराली

पटवारी हल्का : पीपराली

ग्राम : रामजी का गोल फांटा

खसरा संख्या :955/893 क्षेत्रफल : 0.0809 Hectare खाता संख्या : 210पुराना खाता संख्या :29

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [0.0809, 2.47]

1.) तेजाराम पुत्र खेताराम, हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा. देह खातेदार

तेजाराम

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

7. प्रकरण में प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / आर.ए. / 2025 / 1394 दिनांक 26.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का उद्धरण इस प्रकार हैः—

   1. *आराजी खसरा संख्या 893 / 109 में से प्रार्थीगण को बेचान पंजीकृत बयनामा में अंकित दिशाओं अनुसार वर्तमान रिकॉर्ड में तरमीम नहीं की गई है।*
   2. आराजी खसरा संख्या 893 / 109 में से प्रार्थीगण को बेचान की गई भूमि की तरमीम पंजीकृत बयनामा में अंकित दिशाओं से भिन्न तितम्मा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।
   3. आराजी खसरा संख्या 893 / 109 में से प्रार्थीगण को बेचान की गई भूमि की तरमीम पंजीकृत बयनामा में अंकित दिशाओं एवं परिशिष्ट—अ अनुसार तरमीम दुरूस्त की जानी उचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.17 18:22:56 IST
Reason: SelfAttested

4. ग्राम रामजी का गोल फांटा में एक ही खसरा संख्या 893 में ज्यादा टुकड़े होने से लट्ठा ट्रेस में सभी तरमीमें दर्ज नहीं है तथा न ही नम्बर पता चल रहे हैं। इस कारण तहसील ऑनलाईन के समय सेग्रीगेशन करते समय खसरा संख्या 893/2 व 893/109 की तरमीम मौका कब्जा व रिकॉर्ड में दर्शाए दिशा अनुसार नहीं करने से सेग्रीगेशन के समय तरमीम गलत दर्ज हुई है। अतः संलग्न नक्शा में दर्शाये बरंग अनुसार खसरा संख्या 893/2, 893/109 के विभाजित खसरा संख्या 955/893, 956/893 की तरमीम वर्तमान कब्जा व रिकॉर्ड में दर्ज दिशा अनुसार दर्ज किया जाना उचित है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/आर.ए./2025/1394 दिनांक 26.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/आर.ए./2025/1394 दिनांक 26.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 955/893 एवं 956/893 मौजा रामजी का गोल फांटा जरिये पंजीकृत बयनामा क्रय किये जाने से पृथक खसरे सृजित हुए हैं। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा व कब्जे अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु मौके पर बेचान दस्तावेज में अंकित दिशाओं के मुताबिक प्रार्थीगण की आराजी की तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1408 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु मौके के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/आर.ए./2025/1394 दिनांक 26.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/आर.ए./2025/1394 दिनांक 26.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।
यह आदेश आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.17 18:22:56 IST
Reason: SelfAttested